प्रेषक

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 04 अप्रैल, 2018**

विषय: **अनुदान सं0-10 के अधीन उद्यान शाखा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-19967.73 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-318/बजट/2017-18 दिनांक 31.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत उद्यान शाखा के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकवार/मदवार विवरण के अनुसार संचालित चालू योजनाओं में प्राविधानित धनराशि रू0-50740.96 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-19967.73 लाख (एक अरब निन्नाव्वे करोड़ सरसठ लाख तिहत्तर हजार) मात्र निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार दो-दो माह की फेजिंग करते हुए किया जाय तथा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(6) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आय-व्ययक 2018-19 के बजट साहित्य में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं प्राविधानित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायोगा।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ एवं वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह के 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-25/2018/904(1)/58-2018 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या–257/2018–904/58–2018–86/2018, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 का संलग्नक:–

अनुदान संख्या–10

अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश की उद्यान शाखा के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त की जा रही धनराशि का योजनावार/मदवार विवरण :-

अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश की उद्यान शाखा के लिए
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अवमुक्त धनराशि

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक0	लेखाशीर्षक/कार्यक्रम/योजना का नाम		कोड संख्या0 का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2		3	4	5
1	2401-पशुधन कृषि फार्म- 001-निदेशन तथा पर्यवेक्षण 03-केन्द्रीय निदेशालय	01-	वेतन	1060.00	1060.00
		02-	मजदूरी	4.00	4.00
		03-	मंहगाई भत्ता	106.00	106.00
		04-	भत्ता व्यय	9.00	9.00
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00
		06-	अन्य भत्ते	51.98	51.98
		07-	मजदूरी	2.80	1.00
		08-	कार्यालय व्यय	10.50	10.50
		09-	विद्युत देय	30.00	30.00
		10-	उत्तकर/जलप्रभार	2.70	2.70
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	4.00	4.00
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.05	1.05
		13-	टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00
		14-	मोटर गाड़ियों का क्रय	0.01	
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	30.00
		16-	स्थायकालिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	20.00	20.00
		17-	विज्ञापन प्रचलुकक और कर इत्यादित्र	23.00	23.00
		18-	प्रकाशन	1.50	1.50
		22-	आतिथेय स्वागतव्यय विभिन्न भत्ता आदि	0.25	0.25
		27-	मशिनरी	10.00	10.00
		29-	अनुरक्षण	60.00	60.00
		42-	अन्य व्यय –मदोदय	3.50	3.50
			शतशि	2.00	2.00
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिक व्यय	1.36	1.36
		45-	अकबाश यात्रा व्यय	0.75	0.75
		46-	कानपुर हार्डवेयर/सासरवेयर का क्रय	3.00	3.00
		47-	कानपुर अनुरक्षण /सत्तलक्ष्मी स्टेशनरी का क्रय	4.00	4.00
		49-	चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
		51-	वर्दी	0.42	0.42
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	65.52	32.76
			योग-03, मदोदय	1524.34	1489.77
			शतशि	2.00	2.00

2	05-विज्ञा व मगलीय कार्यालय	01-	वेतन	8918.85	8918.85
		02-	मजदूरी	557.70	557.70
		03-	मंहगाई भत्ता	891.89	891.89
		04-	भत्ता व्यय	66.00	66.00
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
		06-	अन्य भत्ते	262.50	262.50
		08-	कार्यालय व्यय	20.00	20.00
		09-	विद्युत देय	270.00	270.00
		10-	उत्तकर/जलप्रभार	5.00	5.00
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	13.40	13.40
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00
		13-	टेलीफोन पर व्यय	6.09	6.09
		14-	मोटर गाड़ियों का क्रय	15.22	
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	63.00	63.00
		16-	स्थायकालिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	25.00	25.00
		17-	विज्ञापन प्रचलुकक और कर इत्यादित्र	15.00	15.00
		18-	प्रकाशन	0.50	0.50
		21-	छपाईसुविधाएं और आवेदन	0.50	0.50
		27-	मशिनरी	9.34	9.34
		29-	अनुरक्षण	40.00	40.00
		42-	अन्य व्यय	180.00	180.00
		43-	शाखरी और सामग्री	330.00	330.00
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिक व्यय	1.00	1.00
		45-	अकबाश यात्रा व्यय	1.50	1.50
		46-	कानपुर हार्डवेयर/सासरवेयर का क्रय	8.00	8.00
		47-	कानपुर अनुरक्षण /सत्तलक्ष्मी स्टेशनरी का क्रय	4.20	4.20
		49-	चिकित्सा व्यय	70.00	70.00
		51-	वर्दी	2.00	2.00
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	548.57	274.29
			योग-05	12336.26	12045.76
3	07-अपुसचरी पालन	02-	मजदूरी	2.28	2.28
		21-	छपाईसुविधाएं और आवेदन	2.00	2.00
		29-	अनुरक्षण	1.00	1.00
		42-	अन्य व्यय	1.40	1.40
		43-	शाखरी और सामग्री	10.00	10.00
			योग-07	16.78	16.78
			योग-001 मदोदय	13676.38	13552.31
			शतशि	2.00	2.00
4	108-वानिकिय पशधन- 05-प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पशु उत्पादन को प्रोत्साहन	27-	मशिनरी	47.68	47.68
		42-	अन्य व्यय	2.40	2.40
			योग-05	50.08	50.08
5	05-पशु विकास हेतु प्रशिक्ष एवं भ्रमिक्षण केन्द्र	02-	मजदूरी	6.25	6.25
		08-	कार्यालय व्यय	0.35	0.35
		09-	विद्युत देय	0.50	0.50
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	0.30	0.30
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10	0.10
		29-	अनुरक्षण	1.20	1.20
		42-	अन्य व्यय	0.50	0.50
		43-	शाखरी और सामग्री	2.50	2.50
			योग-05	11.70	11.70
6	07-उत्तर प्रदेश अनु विकास मिशि-	20-	उद्यापालन अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	18.00	

	2014-का क्रियान्वयन	27-	मशिनरी	16.00	
			योग-07	34.00	0.00
7	08-पशु प्रशोध प्रशिक्षण केन्द्र महोबा	42-	अन्य व्यय	5.00	5.00
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिक व्यय	10.00	10.00
			योग-08	15.00	15.00
			योग-108	110.78	76.78
8	119-बागवानी तथा वनरुपति की पदार्वे- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाये- 0101 एकीकृत औद्यानिक विकास योजना (के:रा:अं:40-के:रा:रा:)	02-	मजदूरी	40.00	
		04-	भत्ता व्यय	50.00	
		08-	कार्यालय व्यय	25.00	
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	35.00	
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	
		13-	टेलीफोन पर व्यय	30.00	
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण	135.00	
		16-	स्थायकालिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	235.00	
		18-	प्रकाशन	45.00	
		19-	विज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन व्यय	25.00	
		27-	मशिनरी	10212.00	
		29-	अनुरक्षण	10.00	
		42-	अन्य व्यय	200.00	
		43-	शाखरी और सामग्री	20.00	
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिक व्यय	343.00	
		46-	कानपुर हार्डवेयर/सासरवेयर का क्रय	45.00	
		47-	कानपुर अनुरक्षण /सत्तलक्ष्मी स्टेशनरी का क्रय	45.00	
			योग-0101	11500.00	0.00
9	0102-पर हुण और क्राप-माइक्रोप्रोपैगेशन (के:60%:40-के:रा:)	27-	मशिनरी	15076.27	
		42-	अन्य व्यय	446.50	
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिक व्यय	77.23	
			योग-0102	15600.00	0.00
			योग-01	27100.00	0.00
10	03-मवेशी- 0304-राजस्वन के अनुसारी का अनुरक्षण (शतशि)	01-	वेतन	105.00	105.00
		02-	मजदूरी	35.00	35.00
		03-	मंहगाई भत्ता	10.50	10.50
		04-	भत्ता व्यय	0.50	0.50
		06-	अन्य भत्ते	3.80	3.80
		08-	कार्यालय व्यय	0.40	0.40
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	0.20	0.20
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.20	0.20
		13-	टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण	1.50	1.50
		29-	अनुरक्षण	0.50	0.50
		42-	अन्य व्यय	12.00	12.00
		43-	शाखरी और सामग्री	13.00	13.00
		46-	कानपुर हार्डवेयर/सासरवेयर का क्रय	0.50	0.50
		47-	कानपुर अनुरक्षण /सत्तलक्ष्मी स्टेशनरी का क्रय	0.20	0.20
		49-	चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
		51-	वर्दी	0.20	0.20
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	6.44	3.22
			योग-0304	193.14	189.92
11	0305-प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का उपलीकरण तथा बीज प्रोटोसिंग (जिला योजना)	02-	मजदूरी	18.00	18.00
		08-	कार्यालय व्यय	0.10	0.10
		09-	विद्युत देय	2.00	2.00

		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	0.10	0.10
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.05	0.05
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण	0.50	0.50
		29-	अनुरक्षण	0.50	0.50
		42-	अन्य व्यय	10.00	10.00
		43-	शाखरी और सामग्री	10.00	10.00
			योग-0305	41.25	41.25
12	0307-अकंपुत बागवानी का विकास	02-	मजदूरी	170.00	170.00
		08-	कार्यालय व्यय	0.50	0.50
		09-	विद्युत देय	10.00	10.00
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	0.50	0.50
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण	0.77	0.77
		18-	प्रकाशन	0.05	0.05
		29-	अनुरक्षण	20.00	20.00
		42-	अन्य व्यय	70.00	70.00
		43-	शाखरी और सामग्री	50.00	50.00
			योग-0307	322.32	322.32
13	0310-प्रदेश में अनुसूचित जाति आधुनन्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	02-	मजदूरी	3.00	3.00
		08-	कार्यालय व्यय	0.20	0.20
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	0.15	0.15
		29-	अनुरक्षण	0.60	0.60
		42-	अन्य व्यय	0.70	0.70
		43-	शाखरी और सामग्री	1.00	1.00
			योग-0310	5.95	5.95
14	0311-कुण्डेजअण्ड एवं विल्लिम क्रीम में औद्यानिक विकास	27-	मशिनरी	500.00	
			योग-0311	500.00	0.00
	0312-मलभरिटर्थों के विकास की योजना	27-	मशिनरी	50.00	
			योग-0312	50.00	0.00
	0313-अपु एवं डीमलाज कोटि के कुक्कर्डो हेतु संकर सकजाओ का उत्पादन	08-	कार्यालय व्यय	16.00	
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	10.00	
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण	30.00	
		16-	स्थायकालिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	30.00	
		27-	मशिनरी	2388.00	
		42-	अन्य व्यय	20.00	
		47-	कानपुर अनुरक्षण /सत्तलक्ष्मी स्टेशनरी का क्रय	6.00	
			योग-0313	2500.00	0.00
			योग-03 मदोदय	3419.22	369.22
			शतशि	193.14	189.92
			योग-119 मदोदय	30519.22	369.22
			शतशि	193.14	189.92
			योग-2401 मदोदय	44506.38	13998.31
			शतशि	195.14	191.92
			योग-2401 (मदोदय+शतशि)	44701.52	14190.23
15	2406-वानिकी तथा सम्ब जीव- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा सम्ब जीव 112-वानिकजिक उद्यान- 03-उद्यान	01-	वेतन	2325.00	2325.00
		02-	मजदूरी	500.00	500.00
		03-	मंहगाई भत्ता	232.50	232.50
		04-	भत्ता व्यय	10.00	10.00
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
		06-	अन्य भत्ते	110.00	110.00
		08-	कार्यालय व्यय	7.50	7.50

		09-	विद्युत देय	70.00	70.00
		10-	उत्तकर/जलप्रभार	0.50	0.50
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	1.50	1.50
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.50
		13-	टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण	1.50	1.50
		16-	स्थायकालिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	2.50	2.50
		17-	विज्ञापन प्रचलुकक और कर इत्यादित्र	0.25	0.25
		18-	प्रकाशन	1.00	1.00
		29-	अनुरक्षण	65.00	65.00
		42-	अन्य व्यय	170.00	170.00
		43-	शाखरी और सामग्री	135.00	135.00
		45-	अकबाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
		47-	कानपुर अनुरक्षण /सत्तलक्ष्मी स्टेशनरी का क्रय	1.50	1.50
		49-	चिकित्सा व्यय	20.00	20.00
		51-	वर्दी	1.50	1.50
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	141.90	70.95
			योग-03	3803.15	3732.20
16	04-औद्रिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	02-	मजदूरी	50.00	37.54
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.30
		42-	अन्य व्यय	45.00	13.96
		43-	शाखरी और सामग्री	35.00	18.90
			योग-04	130.50	70.70
17	05-राजकीय उद्यान नवाबगवान झांसी	02-	मजदूरी	24.92	24.92
		42-	अन्य व्यय	5.16	5.16
		43-	शाखरी और सामग्री	20.56	20.56
			योग-05	50.64	50.64
			योग-2406	3984.29	3853.54
18	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा- 80-सामान्य- 004-अनुसंधान- 05-प्रशोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र	01-	वेतन	1120.47	1120.47
		02-	मजदूरी	20.00	20.00
		03-	मंहगाई भत्ता	112.05	112.05
		04-	भत्ता व्यय	5.50	5.50
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.20	1.20
		06-	अन्य भत्ते	40.00	40.00
		08-	कार्यालय व्यय	5.00	5.00
		09-	विद्युत देय	8.00	8.00
		10-	उत्तकर/जलप्रभार	0.20	0.20
		11-	लेखन सामग्री और पत्रों की छपाई	1.00	1.00
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.30	0.30
		13-	टेलीफोन पर व्यय	1.40	1.40
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण	3.00	3.00
		17-	विज्ञापन प्रचलुकक और कर इत्यादित्र	1.50	1.50
		18-	प्रकाशन	0.05	0.05
		21-	छपाईसुविधाएं और आवेदन	1.20	1.20
		29-	अनुरक्षण	35.00	35.00
		42-	अन्य व्यय	5.00	5.00
		43-	शाखरी और सामग्री	7.00	7.00
		45-	अकबाश यात्रा व्यय	0.40	0.40
		47-	कानपुर अनुरक्षण /सत्तलक्ष्मी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50
		49-	चिकित्सा व्यय	4.20	4.20
		51-	वर्दी	0.50	0.50

		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	70.98	35.49
			योग-06	1444.45	1408.96
			योग-2416	1444.45	1408.96
			योग-राजस्व सेवा मदोदय	49935.12	19260.81
			शतशि	195.14	191.92
			कुलयोग- राजस्व सेवा	50130.26	19452.73
20	4401-पशुज कृषि-फार्म पर पूंजीगत परिसपत्ति- 0103-बीज- 03-गैर रहित आनु के बीज, गौध कोटेदार बाज, के क्रमके की सामान्य स्थापित्र व्यय शतित्र	42-	अन्य व्यय	170.00	170.00
		43-	शाखरी और सामग्री	330.00	330.00
			योग-03	500.00	500.00
			योग-103	500.00	500.00
22	03-मवेशी 301-विकास की स्थापित उद्यानभपैथालाज/ उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान मंत्री व सचीव का क्रय	26-	मशीनें और सयत्रउपस्कर और संयत्र	15.00	15.00
			योग-301	15.00	15.00
23	302-राजस्वन के अनुसारी का अनुरक्षण (शतशि)	24-	एक्टा प्रिमोशन कार्य	5.00	
		26-	मशीनें और सयत्रउपस्कर और संयत्र	0.50	
			योग-302	5.50	0.00
			योग-03	20.50	15.00
			योग-119 मदोदय	15.00	15.00
			योग-119 शतित्र	5.50	0.00
			योग-119	20.50	15.00
			योग-4401 मदोदय	515.00	515.00
			योग-4401 शतित्र	5.50	0.00
			योग-4401	520.50	515.00
24	4406-वानिकी तथा सम्ब जीव पर पूंजीगत परिसपत्ति- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा सम्ब जीव 112-वानिकजिक उद्यान- 03-औद्रिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क	24-	एक्टा प्रिमोशन कार्य	90.00	
		26-	मशीनें और सयत्रउपस्कर और संयत्र	0.20	
			योग-03	90.20	0.00
			योग-112	90.20	0.00
			योग-4406	90.20	0.00
			योग-पूंजीखेत्रा मदोदय	610.70	515.00
			शतित्र	5.50	0.00
			कुल योग-(राजस्व पूंजीखेत्रा) मदोदय	50546.82	19775.81
			शतित्र	195.14	191.92
			कुल: योग-(मदोदय एवं शतित्र)	50741.96	19967.73

(धनराशि रू0 -एक अरब तिरानवे करोड़ सरसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।